ORDINARY NOTIFICATION
(TO BE PUBLISHED IN PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii) OF THE GAZETTE OF INDIA)

F. No.24/17/2010-IF-II
Government of India
Ministry of Finance
Department of Financial Services

New Delhi, dated the 11th November, 2026

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by clause (f) of sub-Section (1) of section 6 of the National Housing Bank Act, 1987 (53 of 1987), the Central Government hereby appoints Shri Thiru. V. Arun Roy, Secretary (Expenditure) to Government, Finance Department, Govt. of Tamil Nadu and Shri Sanjay Bansal, Secretary, Finance (Revenue) Department, Govt. of West Bengal as Directors on the Board of Directors of National Housing Bank with immediate effect and until further orders *vice* Smt. Sarika Pradhan, Secretary, Sikkim Housing and Development Board and Shri Pankaj, Special Secretary to Government, Haryana, Finance Department.

K. Shailendra
(Kumar Shailendra)
Under Secretary to the Government of India

To,
The Manager
Government of India Press
Mayapuri Industrial Area
Ring Road, New Delhi.

साधारण अधिसूचना

(भारत के राजपत्र के भाग II, धारा 3, उपधारा (ii) में प्रकाशनार्थ)

फा. सं.24/17/2010-आईएफ़-II

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 11 नवंबर, 2026

अधिसूचना

केंद्र सरकार, राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 (1987 का 53) की धारा 6 की उप-धारा (1) के खंड (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, श्री तिरु वी अरुण रॉय, सचिव (व्यय), वित्त विभाग, तमिलनाडु सरकार और श्री संजय बंसल, सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार को तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक श्रीमती सारिका प्रधान, सचिव, सिक्किम आवास और विकास बोर्ड और श्री पंकज, विशेष सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग के स्थान पर राष्ट्रीय आवास बैंक के निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में नियुक्त करती है।

कु० शैलेन्द्र

(कुमार शैलेंद्र)

भारत सरकार के अवर सचिव

सेवा में,

प्रबंधक

भारत सरकार मुद्रणालय

मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र

रिंग रोड, नई दिल्ली।